शैक्षणिक परिषद की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय अतिथिगृह, गंगटोक में दिनांक 19 मई 2012 को आयोजित

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्रति अनुसूची की सांविधि 13 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार गठित, सिक्किम विश्वविद्यालय के द्वितीय शैक्षणिक परिषद की पहली बैठक, दिनांक 19.05.2012 को आयोजित की गई थी। बैठक के पूर्व एक परिपूर्ण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की पिछले पाँच वर्षो के दौरान विभिन्न गतिविधियों के पहलुओं को शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:

क्र.सं.	**नाम एवं पदनाम**	**स्थिति**
1.	प्रो.महेंद्र पी लामा संस्थापक कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	श्री टाशी देनशापा निदेशक नामग्याल टीबेटोलोजी संस्थान देउराली, गंगटोक - 737101	सदस्य
3.	श्रीमती किपु छिरिंग लेपचा सामाजिक कार्यकर्ता सिविल सेवक एवं पद्मश्री अवार्ड प्राप्त-2009 गंगटोक-737101	सदस्य
4.	डा. राजकिशोर गुप्ता प्राचार्य संत मुक्ताबाई आर्ट्स एवं कामर्स महाविद्यालय मुकताई नगर, जलगाँव – 425 002, महाराष्ट्र	सदस्य
5.	प्रो.एस.एफ.पाटील, कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मामला (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) भारती विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय भारती विद्यापीठ भवन लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411 030	सदस्य
6.	डा.एम.पी. थापा, प्राचार्य नामची सरकारी महाविद्यालय कामरांग, नामची- 737 126	सदस्य

7.	फा.(डा.) डोनाइटस कुजूर, एसजे प्राचार्य लोयला शिक्षा महाविद्यालय नामची 737126	सदस्य
8.	डा.सुबीर मुखोपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान स्कूल, सिक्किम विश्वविद्यालय	सदस्य

निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक से अनुपस्थिति हेतु छुट्टी की याचना की :

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	स्थिति
1.	प्रो.पीटर रोनाल्ड डी सूजा, निदेशक भारतीय अग्रिम अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास, शिमला – 171 005	सदस्य
2.	प्रो.एस.एस.सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भाड़भाड़ा रोड, भोपाल – 462044	सदस्य
3.	ले.जेन.आदित्य सिंह, पीवीएसएम,एवीएसएम (सेवा नि.) टी-11/8, डीएलएफ सिटी फेज III गुड़गाँव, 122 002-03, हरियाणा	सदस्य

सिक्किम विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कार्मिकगण बैठक में उपस्थित थे: प्रो.ज्योति प्रकाश तामाङ, कार्यकारी रजिस्ट्रार, डा. सी बी सुनवार, फ़ेलो (अकादेमिक), श्री डी कानूनज्ञ, ओएसडी (वित्त), डा. तमाल गुहा, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं डा.सुरेश गुरुङ, सीओई(प्र)।

परिचयात्मक मदें

एसी:11:01	अध्यक्ष द्वारा सदन को व्यवस्थित घोषित किया जाना

कार्यवृत्त:

कोरम संख्या पूरा होने पर, अध्यक्ष ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए तथा प्रथम शैक्षणिक परिषद के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय को आज के स्वरूप में ढालने में किए गए बहुमूल्य अवदानों के प्रति अपनी उत्कट प्रशंसा अभिलेखित करते हुए बैठक आरंभ होने की घोषणा की।

एसी:11:02	मृत्यु-सूचना संदर्भ

कार्यवृत्त:

उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तथा सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों एवं संबंधियों के नाम का पठन किया गया, जिनका कि हाल में निधन हो गया था। सदन ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया।

एसी:11:03	कुलपति द्वारा कार्यनिष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त:

अपने 15 मिनट के पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण में, संस्थापक कुलपति ने मुद्दों की वृहत शृंखला, छात्र नामांकन से लेकर डिग्री के अवार्ड किए जाने तक, मूल्यांकन के प्रति पाठचर्यात्मक समीक्षा, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रबंधन, सम्बद्ध महाविद्यालयों में भ्रमण, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में संलग्नता एवं नेट-स्लेट परीक्षा का उल्लेख किया।उन्होंने प्रेक्षण किया कि यद्यपि उनके अधिकांश आरंभिक प्रत्याशाओं में विभिन्न असंगत कारणों से निराशा हुई है, परन्तु विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन आज तक संतोषपूर्ण ढंग से करने में सक्षम रहा।

सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा विषम परिस्थितियों में विलक्षण एवं समग्र विकास प्रोत्साहित करने में किए गए प्रयासों की प्रशंसा के साथ नोट किया तथा आशा व्यक्त की कि इसकी निरंतरता बनी रहेगी।

समूह I - अनुमोदन वांछित मदें

एसी:11:04	**प्रथम शैक्षणिक परिषद की दिनांक 20.08.2011 को आयोजित 10 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

कार्यवृत्त:

प्रथम शैक्षणिक परिषद की दिनांक 20.08.2011 को आयोजित 10 वीं एवं अंतिम बैठक के कार्यवृत्त को प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट किया गया कि इन कार्यवृत्त को प्रथम शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के बीच उनकी अभियुक्तियों के लिए, यदि कोई हो, विधिवत परिचालित किया गया था। चूंकि किन्हीं सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, इन कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई।

एसी:11:05	**प्रथम शैक्षणिक परिषद की दिनांक 20.08.2011 को आयोजित 10 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्त्ति कार्रवाई रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

पिछली बैठक के कार्यसूची मदों पर सदस्यों के निदेशनानुसार की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सदस्यों ने अवलोकन किया तथा विश्वविद्यालय की कार्रवाई का अनुमोदन किया।

एसी:11:06	**शून्य सेमेस्टर मामले**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने नोट किया कि चौदह छात्रों के आवेदन पत्र पर, जिन्होंने मानसून 2011 की अपनी अंतिम-सेमेस्टर परीक्षा के लिए शून्य सेमेस्टर का लाभ उठाना चाहा था, विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया गया था। सदन ने इस प्रस्ताव के प्रति अनुमोदन प्रदान किया।

एसी:11:07	**अनुचित साधन मामले**

कार्यवृत्त:

सदन ने छात्रों के तीन मामलों पर परीक्षा अनुशासन समिति की अनुशंसाओं का अवलोकन किया, जिन्हें मानसून सेमेस्टर परीक्षा 2011 में अनुचित साधनों का उपयोग करता पाया गया था, तथा आवश्यक अनुवर्त्ति कार्रवाई हेतु इसका अनुमोदन किया।

एसी:11:08	सेमेस्टर अंतराल मामले

कार्यवृत्त:

सदस्यो को छात्रों के प्रति सेमेस्टर अंतराल के अनुमति दिए जाने हेतु प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिन्हें अप्रतिरोध्य परिस्थितियों में अध्ययन की निरंतरता को भंग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मानसून सेमेस्टर के दौरान प्राप्त एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित ऐसे तेरह छात्रों के आवेदन पत्र पर विचार एवं अनुमोदन किया गया।

एसी:11:09	मानसून सेमेस्टर 2011-12 हेतु अभिवृद्धि मामले

कार्यवृत्त:

सदस्यों को सूचित किया गया कि मानसून सेमेस्टर परीक्षा 2011 के कुल मिलाकर 28 अभ्यर्थियों को निर्मित अध्यादेश के अनुसार अभिवृद्धि पेपर्स में उपस्थित होने के योग्य पाया गया। सदन ने विषय वस्तु को अनुमोदन के साथ नोट किया।

एसी:11:10	परीक्षा पर अध्यादेश- “शून्य सेमेस्टर” से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त:

विस्तृत चर्चा के बाद, सदन ने परीक्षा पर अध्यादेश के शून्य सेमेस्टर खंड 05.13 हेतु प्रावधानों के प्रति प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधन को नीचे दिये गए नए उपबंध के अनुप्रवेश द्वारा अंगीकृत किया:

05:13 (3ए): बशर्ते कि छात्र भी, आकस्मिकता / अचानक एवं गंभीर बीमारी, परिवार में मृत्यु, स्वयं छात्र की संलग्नता के साथ किसी दुर्घटना के कारण वांछित, अप्रत्याशित चिकित्सकीय देखभाल सदृश विशेष परिस्थिति में, जब कि परीक्षा प्रगति पर हो, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य / विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत अनुशंसित एवं अग्रेसित आवेदन पत्र परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय के प्रति प्रस्तुत करता है,

05:13 (3बी): बशर्ते कि किसी छात्र द्वारा एक ही सेमेस्टर में शून्य सेमेस्टर के उपभोग किए जाने की स्थिति में, जबकि उसे अभिवृद्धि पेपर उत्तीर्ण करना आवश्यक भी हो और वह ऐसा शून्य सेमेस्टर के कारण नहीं कर सकता हो, तो उसे उसी निर्दिष्ट सेमेस्टर में अभिवृद्धि पेपर उत्तीर्ण करना होगा, जब वह शून्य सेमेस्टर करता/करतीहै।

05:13 (3सी): बशर्ते कि, आठ अथवा अधिक सेमेस्टर वाले पाठ्यक्रमों के साथ प्रोग्राम, यथा-बी.ए-एलएलबी (10 सेमेस्टर),हौर्टिकल्चर एवं फ्लोरिकल्चर मेंबी.एससी.(8 सेमेस्टर), बी.फार्म.(8 सेमेस्टर), को निष्पादित करने वाले छात्रगण सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में दो बार उपभोग इस शर्त पर कर सकते हैं कि इसे उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो। तथापि, द्वितीय शून्य सेमेस्टर का उपभोग सिर्फ छठे सेमेस्टर की पूर्णता के बाद ही किया जा सकता है एवं अंतिम सेमेस्टर की समाप्ति के बाद संगत सेमेस्टर (सम/विषम) में शून्य सेमेस्टर को उत्तीर्ण करता है।

एसी:11:11	**परीक्षा पर अध्यादेश- "उत्तीर्णता वांछनीयता एवं अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति" से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने नोट किया कि विकल्प-आधारित-क्रेडिट-प्रणाली (सीबीसीएस) के कारण, वांछनीय उत्तीर्णता एवं अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति के संबंध में कुछ संक्रामण कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। इन कठिनाइयों के निवारण के लिए एवं प्रणाली में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए, सदन ने निर्णय लिया कि:

(i) परीक्षाओं पर अध्यादेश (20.08.2011 तक यथासंशोधित) के प्रति दो उपबंधों का धारा 05.12(3) के नीचे निम्नानुसार अनुप्रवेश करना:

05:12 (3) (ए): इस अनुबंध के अधीन आने वाले परन्तु न्यूनतम पूर्णयोग / सामान्य पाठ्यक्रम वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ग्रेड अनुरक्षित करने वाले अभ्यर्थीगण भी अगले सेमेस्टर के लिए प्रोन्नत होंगे।

05:12 (3) (बी): "जो अभ्यर्थी 40 प्रतिशत का संचयी पूर्णयोग प्राप्त करने में विफल रहता है परन्तु कम से कम 35 प्रतिशत संचयी पूर्णयोग प्राप्त करता है, जब वह डिग्री पूर्ण करता/करती है, उसे पदावनत किया जाएगा एवं उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम डिग्री प्रदान किया जाएगा।"

(ii) तत्काल अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु सीबीसीएस-पूर्व सिलेबस के अनुबंध की निरंतरता बनी रहनी चाहिए एवं 2010 अनुबंध को शैक्षणिक सत्र 2012-13 से अंडरग्रेजुएट (सम्बद्ध महाविद्यालय) स्तर पर प्रभावी किया जाना चाहिए।

एसी:11:12	**परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन- एकीकृत पाठ्यक्रमों से संबन्धित नए खंड का अनुप्रवेश**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने सराहना करते हुए नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय में एकीकृत पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रोग्राम शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के दौरान चार से बढ़कर नौ हो गए हैं। इसने आगे नोट किया कि इन प्रोग्रामों में अंडरग्रेजुएट खंड समाप्त करने के बाद बहिर्गमन का प्रावधान है, साथ ही पोस्टग्रेजुएट स्तर पर पार्श्विक प्रवेश की अनुमति प्राप्त है।

सदन ने पाठ्यक्रमों के वर्णन हेतु सभी अभिव्यक्तियों में योजक चिहन (यथा बी.ए.-एम.ए.) के स्थान पर तिर्यक चिहन (यथा बीए/एमए) के प्रस्तावना का भी अनुमोदन किया।

तदनुसार, परीक्षा अध्यादेश की धारा 05.15 की उप-धारा (एच) के अंतर्गत संगत प्रावधानों को निम्नानुसार पढे जाने के लिए संशोधन की अनुमति दी गई:

1. बीए एलएलबी/एलएलएम
2. बीसीए/एमसीए
3. बीबीए/एमबीए
4. संगीत में बीपीए/एमपीए
5. चाइनीज भाषा में बीए/एमए
6. मनोविज्ञान में बीएससी/एमएससी
7. फ्लोरिकल्चर एवं हार्टीकल्चर में बीएससी/एमएससी
8. भू विज्ञान में बीएससी/एमएससी
9. गणित में बीएससी/एमएससी

एसी:11:13	**परीक्षा अध्यादेश के प्रति संशोधन- सफल अभ्यर्थियों के प्रति डिवीजन, विशिष्टता से संबन्धित नए उप-खंड का अनुप्रवेश**

कार्यवृत्त:

11.13.1 सदन ने निर्णयाधीन प्रस्ताव पर विचार किया तथा सिक्किम विश्वविद्यालय में सामान्य प्रोग्राम में सफल अभ्यर्थियों के प्रति डिवीजन/ श्रेणी के अवार्ड से संबन्धित नए उप-खंड के निम्नानुसार अनुप्रवेश का अनुमोदन किया।

क्र.सं.	**प्राप्त अंक/ प्रतिशत**	**डिवीजन/ श्रेणी का अवार्ड**
01	60 % एवं अधिक	प्रथम श्रेणी

02	45% एवं अधिक तथा 60% से कम	द्वितीय श्रेणी
03	35% से अधिक 45% से कम	उत्तीर्ण

सदन ने परीक्षाओं पर प्रथम अध्यादेश में संगत प्रावधानों के प्रति मानसून 2008 से 2009-10 के बैच तक पूर्व-प्रभावी रूप से यथासंशोधित उपरोक्त प्रस्ताव को लाने का निर्देश दिया।

एसी:11:14	**परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन-डिवीजन का अवार्ड एवं शीर्षस्थ को अवार्ड**

कार्यवृत्त:

सदन ने विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत विश्वविद्यालय को संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) में से प्रतिशत की गणना द्वारा शीर्षस्थ का चयन करने का सुझाव दिया।

सदन ने आगे परीक्षाओं के प्रथम अध्यादेश में संगत प्रावधानों के प्रति उपरोक्त संशोधन लाने का निर्देश दिया।

एसी:11:15	**प्रोग्राम के नामाकरण के प्रति संशोधन : बीए/एमए संगीत**

कार्यवृत्त:

सदन ने निर्णयाधीन प्रस्ताव को नोट किया तथा संगीत में डिग्री प्रोग्राम के यूजीसी नामावली का निष्पादन-कला (संगीत) के बैचलर/मास्टर के रूप में विश्वविद्यालय में अनुपालनार्थ अनुमोदन किया।

उपरोक्त के समरुप, सदन ने संगत अध्यादेश(ओं) में संशोधन लाने का निर्देश दिया।

एसी:11:16	**एम.फार्म. सिलेबस के प्रति संशोधन : पेपर एमपीवाई 31(पूर्वी हिमालय की जैवविविधता)**

कार्यवृत्त:

एम.फार्म. सिलेबस में पेपर एमपीवाई 31 (पूर्वी हिमालय की जैवविविधता) हेतु क्रेडिट आवंटन में चली आ रही विसंगति की दृष्टि से सदन ने मूल्यांकन के निम्नलिखित पैटर्न एवं भार-उम्र के निम्नानुसार अनुपालन पर विचार एवं अनुमोदन किया।

मूल्यांकन का पैटर्न	**कुल भार-उम्र % में**
मध्य सेमेस्टर जांच-परीक्षा	20
परियोजना रिपोर्ट	40

सेमिनार प्रस्तुतीकरण एवं मौखिक परीक्षा	35
उपस्थिती	05
कुल	100

11.16.5 सदन ने एम.फार्म. सिलेबस में उपरोक्त को संशोधन के रूप में लाने का निर्देश दिया।

एसी:11:17	**एम.फार्म.सिलेबस के प्रति संशोधन: पेपर एमपीवाई 33(शोधप्रबंध)** III **एवं** IV **सेमेस्टर**

कार्यवृत्त:

सदन ने तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के एम.फार्म. सिलेबस के पेपर एमपीवाई 33 में शोधप्रबंध हेतु आवंटित क्रेडिट को वितरित करने में कठिनाई को नोट किया। यह निर्णय लिया गया कि पेपर एमपीवाई 33 के परिणाम चतुर्थ एवं अंतिम सेमेस्टर की समाप्ति पर ही घोषित किए जाएँगे।

एसी:11:18	**अंडरग्रेजुएट अध्ययनों में क्षेत्र-अध्ययन : भुगतान मानदंडों के प्रति संशोधन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों को सूचित किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रणाली लागू की गई है, जिसके अंतर्गत छात्रों द्वारा इनके अंडरग्रेजुएट पाठचर्या के अंग के रूप में संचालित क्षेत्र-भ्रमण की लागत की महाविद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अनुसार, प्रत्येक छात्र को कम से कम 12 दिनों के किसी क्षेत्र-भ्रमण के लिए रु.75 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रु. 5000 की एकमुश्त राशि का भुगतान संबन्धित महाविद्यालय को क्षेत्र भ्रमण के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऐसा पाया गया है कि शिक्षक समन्वयकर्तागण को प्रायः स्वयं से खर्च करना पड़ता है, जो छात्रों के साथ जाते हैं, क्योंकि उनके खर्च की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

विस्तृत चर्चा एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रतिनिधि सदस्यों की राय जानने के बाद, सदन ने निर्देश दिया कि रु. 5000 की एकमुश्त राशि का भुगतान अब से शिक्षक समन्वयकर्ता को प्रति भ्रमण किया जाए। यदि एक से अधिक शिक्षक संलग्न हो, तो राशि की भागीदारी की जाए। यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जाए।

एसी:11:19	**निरीक्षण समिति की रिपोर्ट : सिक्किम सरकारी महाविद्यालय**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने निरीक्षण समिति के अवलोकनों पर विचार किया तथा नोट किया कि महाविद्यालय स्थायी संबद्धता के न्यूनतम मानदंड को पूरा नहीं करता है। सदन द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए अस्थाई संबद्धता की निरंतरता के प्रति अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

कुलपति ने सदस्यों के साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा की एवं कुछ सम्बद्ध महाविद्यालयों के कार्यनिष्पादन को गंभीर रूप से देखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया, जो कि पूर्व में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। इसकी आवश्यकता एक ओर अनिश्चितता की बढ़ती आशंका एवं दूसरी ओर अकादेमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में गैर-सुधार के कारण पड़ी। सदस्यगण उनकी चिंता से सहमत हुए एवं कुलपति से प्रो.राजकिशोर गुप्ता, शैक्षणिक परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में इसी प्रकार के अन्य महाविद्यालयों मे एक दूसरा एवं अधिक समग्र निरीक्षण संचालित करने का अनुरोध किया।

एसी:11:20	**निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: नामची सरकारी महाविद्यालय**

कार्यवृत्त:

निरीक्षण समिति की वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के दौरान, सदन ने कार्यसूची मद सं. 19 में यथाविवेचित द्वितीय निरीक्षण संचालित करने का निर्देश दिया।

एसी:11:21	**निरीक्षण समिति की रिपोर्ट : सरकारी महाविद्यालय, रेनौक**

कार्यवृत्त:

निरीक्षण समिति की वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के दौरान, सदन ने कार्यसूची मद सं. 19 में यथाविवेचित द्वितीय निरीक्षण संचालित करने का निर्देश दिया।

एसी:11:22	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट : सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय

कार्यवृत्त:

निरीक्षण समिति की वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के दौरान, सदन ने कार्यसूची मद सं. 19 में यथाविवेचित द्वितीय निरीक्षण संचालित करने का निर्देश दिया।

एसी:11:23	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: सिक्किम सरकारी बीएड महाविद्यालय

कार्यवृत्त:

निरीक्षण समिति की वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के दौरान, सदन ने कार्यसूची मद सं. 19 में यथाविवेचित द्वितीय निरीक्षण संचालित करने का निर्देश दिया।

एसी:11:24	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: डंबर सिंह महाविद्यालय

कार्यवृत्त:

निरीक्षण समिति की वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के दौरान, सदन ने कार्यसूची मद सं. 19 में यथाविवेचित द्वितीय निरीक्षण संचालित करने का निर्देश दिया।

एसी:11:25	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा महाविद्यालय के कार्यनिष्पादन पर गहरी चिंता प्रकट की। कुलपति ने सूचित किया कि उन्होंने स्वयं महाविद्यालय का भ्रमण किया तथा छात्रों एवं शिक्षको से गिरते शिक्षण मानकों एवं लचर इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में शिकायतें सुनी। सदन ने विश्वविद्यालय को निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश दिया:

i. प्रबंधन को पाई गई अपूर्णताओं को इंगित करते हुए एवं स्पष्ट रूप से यह कहते हुए तत्काल पत्र लिखा जाए कि यदि अगले छः महीने में दृष्टिगोचर सुधार नहीं किए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय असंबद्धता पर विचार करने के लिए विवश होगा।

ii. विज्ञान पर पाठ्यक्रम जिनमें गणित, रसायनशास्त्र वनस्पतिशास्त्र एवं माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर का प्रोग्राम व्याप्त है, शैक्षणिक वर्ष 2012-13 से अगली अधिसूचना तक बंद किया जाए।

iii. वर्ष 2012-13 हेतु वर्तमान कला एवं वाणिज्य पाठ्यक्रमों तक सीमित अस्थाई संबद्धता दें।

iv. प्रो.गुप्ता की प्रमुखता में निरीक्षण समिति द्वारा विशेष निरीक्षण संचालित करें।

एसी:11:26	**निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: हिमालयन फार्मेसी संस्थान**

कार्यवृत्त:

रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात सदस्यों ने निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

एसी:11:27	**निरीक्षण समिति की रिपोर्ट: हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय**

कार्यवृत्त:

निरीक्षण समिति की वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के दौरान, सदन ने कार्यसूची मद सं. 19 में यथाविवेचित द्वितीय निरीक्षण संचालित करने का निर्देश दिया।

एसी:11:28	**निरीक्षण समिति की रिपोर्ट : लोयला शिक्षा महाविद्यालय**

कार्यवृत्त:

निरीक्षण समिति की वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के दौरान, सदन ने कार्यसूची मद सं. 19 में यथाविवेचित द्वितीय निरीक्षण संचालित करने का निर्देश दिया।

एसी:11:29	**गणित में एकीकृत बीएससी/एमएससी हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने सीडीसी की रिपोर्ट पर विचार किया तथा सिलेबस का अनुमोदन किया।

एसी:11:30	**हिन्दी भाषा एवं साहित्य में एमए हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने सीडीसी की रिपोर्ट पर विचार किया तथा सिलेबस का अनुमोदन किया।

एसी:11:31	**रासायनिक विज्ञान में एमफिल/पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने सीडीसी की रिपोर्ट पर विचार किया तथा सिलेबस का अनुमोदन किया, जो कि यूजीसी मानदंडों के अनुसार था।

एसी:11:32	**भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में एमफिल/पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने सीडीसी की रिपोर्ट पर विचार किया तथा सिलेबस का अनुमोदन किया, जो कि यूजीसी मानदंडों के अनुसार था।

एसी:11:33	**आर्थिक अध्ययन एवं आयोजना में एमफिल/पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने सीडीसी की रिपोर्ट पर विचार किया तथा सिलेबस का अनुमोदन किया, जो कि यूजीसी मानदंडों के अनुसार था।

एसी:11:34	**पत्रकारिता एवं जनसंचार में एम फिल /पीएच डी हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने सीडीसी की रिपोर्ट पर विचार किया तथा सिलेबस का अनुमोदन किया, जो कि यूजीसी मानदंडों के अनुसार था।

एसी:11:25	**उदार विषयों में अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम का आनर्स प्रोग्राम में रिमोडेलिंग करना**

कार्यवृत्त:

कुलपति ने सदन को अंडरग्रेजुएट स्तर पर आनर्स प्रोग्राम के अनुसरण किए जाने के कई लाभों के बारे में सूचित किया, जिसके लिए महाविद्यालय स्तर पर किसी बड़ी पुनरसंरचना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे प्राप्त डिग्री में पर्याप्त मुल्यवृद्धि होगी। सदस्यों ने इस युक्ति की प्रशंसा की तथा अंडरग्रेजुएट प्रोग्रामों का आनर्स में रेमोडेलिंग का अनुमोदन किया, बशर्ते कि योग्यता, पाठ्यक्रम-संरचना, सिलेबस आदि के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है।

एसी:11:36	**सरकारी कालेज,रेनौक में अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना हेतु अनुरोध**

कार्यवृत्त:

विस्तृत चर्चा के बाद, सदन ने सरकारी कालेज, रेनौक में शैक्षणिक वर्ष 2012-13 से निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना हेतु अनुमति प्रदान की :

i. वैकल्पिक अङ्ग्रेज़ी

ii. गणित (आनर्स)

iii. सांख्यिकी (आनर्स)

एसी:11:37	**आंतरिक गुणता आश्वासन कक्ष की स्थापना हेतु अध्यादेश**

कार्यवृत्त:

सदन ने आंतरिक गुणता आश्वासन कक्ष की स्थापना पर अध्यादेश का अनुमोदन किया तथा सुझाव दिया कि इसे सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में विस्तारित किया जाए।

एसी:11:38	**कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा (सीआईई) अर्हताओं की मान्यता**

कार्यवृत्त:

कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाएँ (सीआईई) स्तर ए को भारतीय उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की स्टेंडर्ड XII डिग्री के समकक्ष मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

एसी:11:39	**नामची सरकारी महाविद्यालय मे अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना हेतु अनुरोध**

कार्यवृत्त:

सदन ने महाविद्यालय के मानसून सत्र 2012 से वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकी, गणित एवं सांख्यिकी में यूजी प्रोग्राम लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया। तथापि सदन ने नोट किया कि इन प्रोग्रामों के संचालन के लिए महाविद्यालय ने न तो शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त की है और न मौलिक प्रयोगशाला इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना ही की जा सकी है। तदनुसार प्रस्ताव को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई, परन्तु इसका कार्यान्वयन अगले शैक्षणिक सत्र 2013-14 तक विलंबित किया गया, जब औपचारिक स्वीकृति पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि सबंधित विषयों में अर्हताप्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाती है। महाविद्यालय को तदनुरूप सलाह दी जाए तथा इनका अनुपालन पूर्ण करने पर पुनः मांग रखने का अनुरोध किया जाए।

एसी:11:40	**सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय की स्थायी संबद्धता**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने प्रेक्षण किया कि सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिए जाने का मुद्दा, प्रो. गुप्ता की प्रमुखता में निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा इसपर विशिष्ट अनुशंसा किए जाने तक विलंबित रखा जाए।

एसी:11:41	**सिक्किम सरकारी महाविद्यालय की स्थायी संबद्धता**

कार्यवृत्त:

सदस्यों ने प्रेक्षण किया कि सिक्किम सरकारी महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिए जाने का मुद्दा, प्रो. गुप्ता की प्रमुखता में निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा इस पर विशिष्ट अनुशंसा करने तक विलंबित रखा जाए।

एसी:11:42	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गेजिंग की संबद्धता

कार्यवृत्त:

सदन ने सभी पहलुओं पर विचार किया तथा सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गेजिंग को वर्ष 2012-13 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान किए जाने की संपुष्टि की।

एसी:11:43	यूजीसी कोचिंग फ्रेमवर्क/ संहिता

कार्यवृत्त:

सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा ड्राफ्ट किए गए यूजीसी कोचिंग फ्रेमवर्क / संहिता का अनुमोदन किया।

एसी:11:44	डा. सोमेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को अति विशेष छुट्टी प्रदान किया जाना

कार्यवृत्त:

सदन ने डा. सोमेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को वेतन एवं भत्ते के बिना दिनांक 15.05.2012 से 31.07.2012 तक की अवधि के लिए अपना पोस्ट-डाकटोरल अनुबंध एवं यूएसए में अन्य शैक्षणिक कार्यभार पूर्ण करने के लिए इस प्रत्याशा के साथ अति विशेष छुट्टी प्रदान करने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की कि डा. चक्रवर्ती छुट्टी से लौटने के बाद कम से कम पाँच वर्षों तक सिक्किम विश्वविद्यालय में सेवा प्रदान करेंगे।

सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

एसी:11:45	मानसून 2011 परिणामों का विश्लेषण

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया तथा अंतिम परीक्षा की तारीख से 18 दिनों के अंदर परिणाम घोषित किए जाने में विश्वविद्यालय के प्रयासों की गहन प्रशंसा की।

एसी:11:46	सत्र 2012-13 से नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना

कार्यवृत्त:

सदन ने शैक्षणिक सत्र 2012-13 से नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:47	शिक्षण कर्मचारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति

कार्यवृत्त:

सदन ने माननीय कुलपति एवं इनके दल को सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को इतने सुचारु रूप से संचालित करने के लिए हार्दिक बधाई दी। सदन संतुष्ट हुआ कि नए संकाय सदस्यों की नियुक्ति के साथ, विश्वविद्यालय उच्च निपुणता एवं ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए आने वाले दिनों में शैक्षणिक क्षेत्र में सफलता की नई उचाइयाँ प्राप्त करेगा।

सदन ने इसके बाद नियमित शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के बारे में प्रस्तुत सभी विवरणों को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:48	शैक्षणिक परिषद के संघटन पर सांविधि के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:49	**अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:50	**भर्ती नियमावली पर अध्यादेश के प्रति संशोधन: शिक्षण स्थितियाँ**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:51	**शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती (संविदा आधार पर)**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया एवं विश्वविद्यालय को पदधारकों को नियमित आधार पर लाने की प्रक्रिया में शीघ्रता बरतने का सुझाव दिया।

एसी:11:52	**सामुदायिक रेडियो परियोजना की पहल**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया तथा राज्य एवं इससे संलग्न क्षेत्रों के लिए सम्पूर्ण रूप से अत्यंत लाभकारी ऐसी साहसिक परियोजनाओं की पहल करने में विश्वविद्यालय की युक्ति की प्रशंसा की।

एसी:11:53	**द्वितीय शरद प्रवास की समाप्ति**

कार्यवृत्त:
सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:54	**रजिस्ट्रार की नियुक्ति**

कार्यवृत्त:
सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:55	**विशेष कार्य अधिकारी के नियुक्ति (वित्त एवं प्रबंधन)**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:56	**विश्वविद्यालय पुस्तकालय - प्रमुख कार्यनिष्पादन**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:57	**सिक्किम विश्वविद्यालय वैबसाइट को पुनरसज्जित करना- एक रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:58	**सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करना**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:59	**किराए के भवनों की स्थिति**

कार्यवृत्त:

कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट करने के दौरान सदन ने किराए के भवनों पर अधिकता से खर्च हो रहे सरकारी धन पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें काफी कमी लाई जा सकती थी यदि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस निर्माण हेतु निर्दिष्ट भूमि सौंप दी गई होती।

एसी:11:60	**यांगांग स्थित कैंपस भूमि**

कार्यवृत्त:

सदन ने राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति निर्दिष्ट भूमि सौंपे जाने में लगातार हो रहे विलंब पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सदन ने माना की यदि और अधिक विलंब हुआ तो भूमि की मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रियों की अभिवर्धित लागत, भू-स्वामियों में भूमि देने की असंतुष्टि में वृद्धि एवं इस सदृश अन्य प्रमुख अड़चनों के सिद्ध मुद्दे आने वाले दिनों में पैदा होने लगेंगे।

एसी:11:61	**नामांकन 2012-13 हेतु कार्य योजना**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:62	**आयोजक 2012**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:63	**द्वितीय विदेश नीति व्याख्यान एवं शरद प्रवास प्रस्तुतीकरण**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:64	**इन्फ़्लिबनेट केंद्र, अहमदाबाद के साथ शोधगंगा हेतु एमओयू**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:65	भारत के राष्ट्रीय आर्किव्ज, नई दिल्ली के साथ सहकारिता ज्ञापन

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:66	क्रायोस्फेयर एवं जलवायु परिवर्तन पर अंतर-विश्वविद्यालय परिसंघ पर सहकारिता ज्ञापन

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:67	नियमित शिक्षण कर्मचारियों की कार्यभारग्रहण की स्थिति

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:68	एडजंक्ट प्रोफेसरों की नियुक्ति

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:69	तृतीय बसंत-व्याख्यान एवं पुस्तक विवेचना कार्यक्रम 2012

कार्यवृत्त:
सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:11:70	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त:
कोई अन्य मद नहीं होने पर, अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई।

हस्त/-
सचिव,
शैक्षणिक परिषद